# ।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

## पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

राजस्व वाद सं० 5/14

तारीख रज्जू 14.07.2021

01– दीनमौहम्मद पुत्र श्री सलेम खान जाति मेव उम्र करीब 64 साल, निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर

02– उसमान पुत्र मम्मल जाति मेव उम्र करीब 64 साल, निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

**बनाम**

01– ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर राजस्थान सरकार जरिये सरपंच

–असल रेस्पोडेन्ट

02– अयूब पुत्र मम्मल

03– इस्माईल पुत्र मम्मल

04– कमला पुत्री मम्मल

05– मल्ला पत्नी मम्मल

06– मामुरी पत्नी मम्मल

07– सायरा पुत्री मम्मल

जातियान मेव निवासीयान ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर

–तरतीबी रेस्पोडेन्टान

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरासत इंतकाल संख्या 249 दिनांक 30.01.2008 ग्राम पंचायत अकबरपुर**

–: निर्णय :– दिनांक: 10.11.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी ख़सरा 726 रकबा 0.09 हे०, 728 रकबा 0.30 हे०, 729 रकबा 0.12 हे०, 730 रकबा 0.01 हे०, 731 रकबा 0.13 हे०, 732 रकबा 0.22 हे०, 733 रकबा 0.22 हे०, 734 रकबा 0.33 हे०, 435 रकबा 0.12 हे०, 736 रकबा 0.12 हे०, 737 रकबा 0.25 हे०, 738 रकबा 0.31 हे०, 739 रकबा 0.12 हे०, 739/1751 रकबा 0.01 हे०, 742 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

0.03 है0, 743 रकबा 0.18 है0, 744 रकबा 0.24 है0, 745 रकबा 0.11 है0, 746 रकबा 0.56 है0, 747 रकबा 0.09 है0, 748 रकबा 0.18 है0, 749 रकबा 0.06 है0, 750 रकबा 0.18 है0, 751 रकबा 0.08 है0, 752 रकबा 0.23 है0, 753 रकबा 0.21 है0, 754 रकबा 0.07 है0, 75 रकबा 0.01 है0, 756 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर बाबत विरासत इंतकाल संख्या 249 दिनांक 30.01.2008 अपीलार्थी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम श्री दीनमौहम्मद के स्थान पर लाला के नाम तस्दीक व मंजूर किया गया तथा अपीलार्थी संख्या–2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 7 के पति व पिता का नाम मम्मल के स्थान पर मम्मन दर्ज किया गया। जिस विरासत इंतकाल को दुरूस्त किया जाकर अपीलार्थी संख्या–1 का नाम लाला के स्थान पर दीनमौहम्मद व अपीलार्थी संख्या–2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 7 के पिता व पति का नाम मम्मन के स्थान पर मम्मल दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन किया है। उक्त अपील में राजस्व कर्मचारी द्वारा सहवन व त्रुटिपूर्ण दीनमौहम्मद के स्थान पर लाला व मम्मल के स्थान पर मम्मन दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने इंतकाल नकल प्राप्त की। अधिवक्त से कानूनी राय प्राप्त की। उक्त त्रुटि होने बाबत अपीलार्थीगण को नही थी। नाम दुरूस्त करने बाबत अपील पेश की है। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय हमें सुना नही गया एवं सुनवाई को मौका नही दिया गया। ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व मृतक सलेम के वारिसान के बाबत कोई जांच नही की। ग्राम पंचायत का आदेश मनमाना व क़यासिया पारित किया गया है। जो काबित अपास्त है। सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड में अपीलार्थी संख्या 1 का नाम दीनमौहम्मद दजै है तथा अपीलार्थी संख्या–2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 7 के आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में पिता का नाम मम्मल दर्ज है। जो बखूबी प्रमाणित है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश कर ग्राम पंचायत अकबरपुर के आदेश दिनांक 30.01.2008 में विवादित इंतकाल संख्या 249 में अपीलार्थी संख्या 1 के नाम लाला के कलमजन कर दीनमौहम्मद व अपीलार्थी संख्याा 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्याा 2 लगा0 7 के पिता का नाम मम्मन कलमजन कर मम्मल दर्ज संशोधित इंतकाल जारी करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत अकबरपुर में पेश हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर उप० आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। अपीलाण्टगण उप०। अपीलाण्टगण ने शपथपत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 249, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं शपथ पत्र दीनमोहम्मद एवं उसमान, फोटोप्रति आधार कार्ड संख्या 569393095317 एवं ड्राईविंग लाईसेन्स दीनमौहम्मद, फोटोप्रति आधार कार्ड संख्या 637957572908 एवं पेनकार्ड संख्या एसीडब्ल्युपीयू7520एम उसमान, एवं तहसीलदार अलवर द्वारा कैम्प में पेश की गई रिपोर्ट पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलाण्टगण आंशिक स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत अकबरपुर का आदेश दिनांक 30.01.2008 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 249 अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है की उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प अकबरपुर मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)